झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

द्वादश (बजट) सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न गुरुवार,दिनांक- 28 पौष, 1939 {श0} / 18 जनवरी, 2018 {ई0} को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्र.सं.	विभागों को संसूचित की गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01	ऊ-08	श्री कुणाल षड़ंगी	केबलिंग लाइन बिछाना।	ऊर्जा	10.01.18
02	मस-01	श्री अशोक कुमार	पोषण सखी की नियुक्ति।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	08.01.18
03	ज-29	श्री प्रकाश राम	योजना का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	11.01.18
04	मस-06	श्री सुखदेव भगत	पेंशन का भुगतान।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	10.01.18
05	मस-04	श्री दशरथ गागराई	मानदेय बढ़ाना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	10.01.18
06	ज-28	श्री जगरनाथ महतो	बंद पड़ी लिफ्ट ऐरिगेशन को चालू कराना।	जल संसाधन	11.01.18
07	ऊ-01	श्री आलमगीर आलम	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा	08.01.18
08	ज-19	श्री अनन्त कुमार ओझा	तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराना।	जल संसाधन	11.01.18
09	ज-01	श्री अशोक कुमार	पी0सी0सी0 लाइनिंग कराना।	जल संसाधन	08.01.18
10	क-13	श्री बिरंची नारायण	आवासीय विद्यालय खोलना।	कल्याण	11.01.18

कृ0पृ0उ0

01	02	03	04	05	06
11.	जा-12	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	10.01.18
12.	ज-32	श्री राज कुमार यादव	डैम का निर्माण कराना।	जल संसाधन	11.01.18
13.	ज-05	श्री योगेन्द्र प्रसाद	सड़क की मरम्मती।	जल संसाधन	08.01.18
14.	जा-06	श्री राम कुमार पाहन	विद्युतीकरण।	ऊर्जा	08.01.18
15.	खा-02	श्री जानकी प्रसाद यादव	सब्सिडी देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	10.01.18
16.	ज-18	श्रीमती मेनका सरदार	माइक्रो लिफ्ट ईरिगेशन चालू कराना।	जल संसाधन	10.01.18
17.	क-07	श्री आलोक कुमार चौरसिया	कब्रिस्तान की घेराबंदी।	कल्याण	10.01.18
18.	ज-10	श्री मनीष जायसवाल	डैम का निर्माण।	जल संसाधन	10.01.18
19.	जा-18	श्री प्रकाश राम	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	11.01.18
20.	ज-27	श्री जगरनाथ महतो	चैकडैम का निर्माण।	जल संसाधन	11.01.18
21.	क-09	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	उच्चस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था।	कल्याण	11.01.18
22.	ज-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	08.01.18
23.	जा-21	श्री चम्पाई सोरेन	मुआवजा दिलाना।	ऊर्जा	11.01.18
24.	ज-21	श्री अनन्त कुमार ओझा	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	11.01.18
25.	जा-11	श्री शशिभूषण सामड	बिजली मुहैया कराना।	ऊर्जा	10.01.18
26.	क-10	श्रीमती विमला प्रधान	स्थायी निदेशक नियुक्त कराना।	कल्याण	11.01.18
27.	जा-19	श्री राज कुमार यादव	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	11.01.18
28.	जा-07	श्री योगेश्वर महतो	टावर लगाना।	ऊर्जा	10.01.18
29.	जा-15	श्रीमती जोबा माझी	ट्रांसफॉर्मरों को बदलना।	ऊर्जा	11.01.18
30.	ज-25	श्री भानू प्रताप शाही	बराज कार्य पूरा कराना।	जल संसाधन	11.01.18
31.	ज-24	श्री भानू प्रताप शाही	नहर की पक्कीकरण कराना।	जल संसाधन	11.01.18
32.	जा-02	श्री इरफान अंसारी	टी०आर०डब्लू० खोलने के संबंध में।	ऊर्जा	08.01.18
*33.	ज-22	श्रीमती जोबा माझी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	11.01.18
34.	मस-05	श्री अरूप चटर्जी	पदों का सृजन।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	10.01.18
35.	ज-30	श्री राज किशोर महतो	चैकडैम का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	11.01.18
36.	ज-04	श्री शिव शंकर उराँव	सर्वेक्षण कराना।	जल संसाधन	08.01.18
37.	क-04	श्री नागेन्द्र महतो	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	कल्याण	10.01.18

* जल संसाधन विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को स्थानान्तरित।

कृ०पृ०उ०/

01	02	03	04	05	06
38.	खा-04	श्री राज सिन्हा	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	10.01.18
39.	क-14	श्री लक्ष्मण टुडू	छात्रावास का निर्माण।	कल्याण	11.01.18
*40.	क-05	श्री राज सिन्हा	कानून बनाना।	कल्याण	10.01.18
41.	ज-20	श्रीमती विमला प्रधान	डैम का जीर्णोद्धार कराना।	जल संसाधन	11.01.18
42.	ज-09	श्री कुणाल षड़ंगी	माइक्रोलिफ्ट लगाना।	जल संसाधन	10.01.18
43.	मस-02	श्रीमती गीता कोड़ा	वृद्धा एवं विधवा पेंशन दिलाना।	महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा	08.01.18
44.	ऊ-05	श्री शिव शंकर उराँव	विद्युत आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	08.01.18
45.	ज-14	श्री आलोक कुमार चौरसिया	डैम का निर्माण।	जल संसाधन	10.01.18
46.	ऊ-13	श्री नागेन्द्र महतो	सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	10.01.18
47.	ज-13	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	डैमों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	10.01.18
48.	ज-08	श्री राम कुमार पाहन	सिंचाई की व्यवस्था।	जल संसाधन	08.01.18
49.	ऊ-16	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	सबग्रीड का निर्माण।	ऊर्जा	11.01.18
50.	ऊ-20	श्री मनीष जायसवाल	अंडर ग्राउंड केबलिंग कराना।	ऊर्जा	11.01.18
51.	खा-06	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	खाद्य आपूर्ति कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.01.18
52.	ऊ-14	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	ऊर्जा	10.01.18
53.	क-01	श्री योगेन्द्र प्रसाद	नियोजित करना।	कल्याण	08.01.18
54.	खा-07	श्री जानकी प्रसाद यादव	चावल के साथ गेहूँ उपलब्ध कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.01.18

राँची,
दिनांक- 18 जनवरी, 2018(ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः-(प्रश्न)- 01/2018......729......./वि0स0, राँची, दिनांकः- 18/01/18

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरवरधारी
17/1/18
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

* कल्याण विभाग से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानान्तरित

ज्ञाप संख्याः-(प्रश्न)- 01/2018........729........../वि०स०,राँची,दिनांकः-...17/01/18

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 17/1/18

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-(प्रश्न)- 01/2018........729........../वि०स०,राँची,दिनांकः-...17/01/18

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 17/1/18

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

16/01/18

राजेन्द्र/-

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुणाल षड़ंगी, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा एवं चाकुलिया प्रखंड के शहरी क्षेत्रों को अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग लाईन कराने की योजना सरकार के पास लम्बे समय से लंबित है।	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित स्थानों पर अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग लाईन नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में आँधी, तूफान और टनका गिरने के कारण इलैक्ट्रीक सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-1 में वर्णित स्थानों पर अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग लाईन बिछाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	बहरागोड़ा एवं चाकुलिया प्रखंड के शहरी क्षेत्रों में अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2018–19 में Asian Development Bank द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। स्वीकृति उपरांत अगले ०२ वर्ष में उक्त कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 137 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–म0स0–01 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंडों के साथ अन्य प्रखंडों के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण सखी की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले दो वर्षों से चल रही है, परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि महागामा प्रखंड के 268 आंगनबाड़ी केन्द्रों में केवल 143, मेहरमा प्रखंड के अन्तर्गत 221 केन्द्रों में केवल 21 एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड अन्तर्गत 268 केन्द्रों में केवल 143 केन्द्रों के पोषण सखी को भी अभी तक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। महागामा प्रखंड में कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या–268 के विरूद्ध कुल 143 आँगनबाड़ी केन्द्रों में, मेहरमा प्रखंड में कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या–222 के विरूद्ध कुल 21 आँगनबाड़ी केन्द्रों में, ठाकुरगंगटी प्रखंड में कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या–146 के विरूद्ध कुल 79 आँगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण सखी के चयनित आवेदिका को नियुक्ति पत्र दी गई है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि महागामा में 96 केन्द्रों पर पुनः ग्राम सभा एवं 29 केन्द्रों का चयन हेतु प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मेहरमा में 117 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शेष 84 आंगनबाड़ी केन्द्रों की पोषण सखी जाँच के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। ठाकुरगंगटी में 46 केन्द्रों में चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, अवशेष 21 केन्द्रों में पुनः ग्राम सभा की जानी है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखंडों के जिन केन्द्रों में पोषण सखी नियुक्त कर लिया गया है उन्हें अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और न ही उनसे कार्य लिया जा रहा है;	जिन केन्द्रों में पोषण सखी की नियुक्ति कर लिया गया है, उन्हे कार्य करने हेतु जनवरी 2018 में प्रारंभिक प्रशिक्षण दे दिया गया है एवं कार्य लिया जा रहा है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित प्रखंडों के सभी केन्द्रों में पोषण सखी की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर उनसे कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्तानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/तारां0 प्र0–07/2018– 180 रॉंची, दिनांक : 17-01-2018

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके कार्यालय ज्ञापांक–71/वि0स0, दिनांक–08.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव।

(3)

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–29 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अंतर्गत प्रखण्ड–बारीयातू, ग्राम–बालूभांग में सन् 1984 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कोटला अमानत नदी से गम्हरीया टोला, अकरौली महुआ, बनियाचट्टी, चमरटोली इत्यादी ग्रामों में पाईप लाईन का निर्माण सिंचाई हेतु किया गया था, जो अब जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत योजनाएं उद्वह सिंचाई योजनाएं थी जिनके जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण पुर्नस्थापन संभव नहीं है। उनके स्थान पर नई उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण लाभुक समिति द्वारा विद्युत संयोजन, विद्युत विपत्र का भुगतान एवं योजना के सम्पोषण एवं संचालन हेतु, शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–29/2018 ......292....../ राँची, दिनांक–17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–........ दिनांक–............. के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(4)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न

सं०-मस-06 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा में लगभग 2000 हज़ार वृद्धावस्था/विधवा सम्मान/ आदिम जनताती पेंशन का भुगतान वर्षों से लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । लोहरदगा जिले में लगभग 900 पेंशन/ वृद्धावस्था/ विधवा सम्मान एवं आदिम जनजाति पेंशन का भुगतान की कार्रवाई लाभुकों के बैंक खाता संख्या एवं आधार कार्ड में नाम के भिन्नता तथा आधार कार्ड के अक्रियाशील होने के कारण बाधित है ।
2.	क्या यह बात सही है कि पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण लाभूकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक । उपायुक्त, लोहरदगा के द्वारा जिला के सभी अंचलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर उपर्युक्त त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक निदेश निर्गत किये जा रहे है । कैंप का आयोजन कर व्यापक प्रचार प्रसार एवं जनमानस में जागरूकता का संचार किया जा रहा है । फलस्वरूप त्रुटियों का निराकरण कर लगभग 285 पेंशनरों का भुगतान संभव हो पाया है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पेंशन का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लंबित पेंशन के भुगतान हेतु उपर्युक्त कंडिका- I में निहित सुधारात्मक कार्रवाई लगभग 90 दिनों में पूरी कर ली जायेगी ।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक- 03/म०स०/वि०स०/ तारांकित प्रश्न- 16/2018-173 रांची,दिनांक- 17-01-18

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०-133/वि०स०, दिनांक- 10.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/01/2018

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–म0स0–04 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यभर में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका को मात्र रु0 4500/– मानेदय दिया जाता है तथा आंगनबाड़ी सहायिका को मात्र रु0 2300/– मानेदय दिया जाता है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। आंगनबाड़ी सेविका को वर्त्तमान में रु0 4400/– तथा आंगनबाड़ी सहायिका को रु0 2200/– मानेदय प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है वर्त्तमान समय में यह राशि सम्मानजनक एवं पर्याप्त नहीं है ;	हाँ। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मानदेय के आधार पर कार्यरत है। इनकी मानदेय की राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविका, सहायिका का मानदेय बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मी नहीं है। इनको प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :–

	केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि जिसमें 40% राज्य सरकार का अंशदान है। (रु0 प्रतिमाह)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। (रु0 प्रतिमाह)	कुल (रु0 प्रतिमाह)
आंगनबाड़ी सेविका	3000/–	1400/–	4400/–
आंगनबाड़ी सहायिका	1500/–	700/–	2200/–
लघु आंगनबाड़ी सेविका	2250/–	700/–	2950/–

उल्लेखित है कि समेकित बाल विकास सेवाएँ योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका कार्यरत है। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय का निर्धारण केन्द्र सरकार करती

		है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के कार्यों के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त " अतिरिक्त मानदेय" का भी भुगतान दिनांक–01.04.2016 से किया जा रहा है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार के पास मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/तारां0 प्र0–14/2018– 175 रॉंची, दिनांक : 17-01-2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके कार्यालय ज्ञापांक–135/वि0स0, दिनांक–10.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव।

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिलान्तर्गत डुमरी विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है तथा यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए कोई भी सुविधा नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नावाडीह प्रखंड में बिहार राज्य के समय झालको द्वारा कृषि के लिए सिंचाई हेतु आहरडीह में वर्षों से जो सिंचाई सुविधा थी, बन्द पड़ी है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-2 में वर्णित बंद पड़ी लिफ्ट ऐरिगेशन को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का पुनर्निर्माण बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर आगामी वर्षों में कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–28/2018 300/ राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–260 दिनांक–11.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(7)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड के ग्राम- बरहरवा बाजार, गोपालपुर, चाँदपुर, गोराचाँदपुर, ग्राम्सीर, रानीग्राम, सातगाछी, माधुआपाड़ा एवं चापुजान को पूर्व में साहेबगंज जिला के तीनपहाड़ विद्युत सब-स्टेशन से प्रत्येक दिन 15–16 घंटा विद्युत आपूर्ति किया जाता था।		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित सभी ग्रामों में वर्तमान में पाकुड़ ग्रिड के सीतापहाड़ विद्युत सब-स्टेशन से प्रत्येक दिन मात्र 08–10 घंटा विद्युत आपूर्ति हो रही है;		सीतापहाड़ विद्युत सब-स्टेशन से सामान्यतः 17 से 18 घंटा वर्णित सभी ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। कभी-कभी Power Crisis की स्थिति में सामान्य से कम विद्युत आपूर्ति की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित सभी ग्रामों में पूर्व की तरह साहेबगंज जिला के तीनपहाड़ विद्युत सब-स्टेशन से प्रत्येक दिन 15–16 घंटा विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?		उक्त क्षेत्रों में Power Crisis की कमी को दूर करने हेतु वर्तमान में मंगलहाट राजमहल में 132/33 के०भी० ग्रिड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे बरहरवा स्थित पतना सब-स्टेशन को जोड़ा जायेगा जिससे उक्त सभी ग्रामों एवं बरहरवा बाजार वाले क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। उक्त ग्रिड को माह मार्च 2019 तक चालू करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 125 / दिनांक 15-01-18

प्रतिलिपि:-- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड क्रमशः साहेबगंज, राजमहल तथा उधवा गंगा तट, मध्य व दियारा क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला के प्रखण्ड राजमहल अन्तर्गत चण्डीपुर जल जमाव क्षेत्र एवं उधवा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत श्रीधर दियारा में जल–जमाव क्षेत्र के समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जल निस्सरण हेतु विभाग द्वारा प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, परन्तु आज तक इस प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति लम्बित है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित जल–जमाव क्षेत्रों से जल निस्सरण हेतु माँग स्थानीय द्वारा 10 वर्षों से की जाती रही है, जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन जल–जमाव के कारण फसल विहिन है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित क्षेत्रों में जल निस्सरण कार्यों की प्राक्कलन प्रस्ताव की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति देकर अविलम्ब उक्त समस्या से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड राजमहल के चंडीपुर एवं प्रखण्ड उधवा के श्रीधर दियारा के आस–पास के क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति रहती है। जल निस्सरण (Water Drainage System) की व्यवस्था हेतु वृहत सर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता होगी। संभाव्यता के आलोक में योजना के कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–19/2018 – 306 /राँची, दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 262 वि०स० दिनांक 11.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(9)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिलान्तर्गत सुन्दर जलाशय योजना के नहर में एवं मौरा बराज के नहर में पी०सी०सी० लाइनिंग कराने हेतु विभाग द्वारा डी०पी०आर० तैयार कराया गया है, परन्तु आज तक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि किसानों का समुचित लाभ मिले इसके लिये उक्त वर्णित योजना के नहर में पी०सी०सी० लाइनिंग कराया जाना अतिआवश्यक है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में वर्णित योजना के नहर में पी०सी०सी० लाइनिंग का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त दोनों योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर लिया गया है, जो जाँच के क्रम में है। बजटीय उपलब्धता तथा क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–01/2018 – 289 /राँची, दिनांक 17.01.18

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 58 वि०स० दिनांक 08.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

10

श्री बिरंची नारायण, माननीय स० वि० स० के द्वारा दिनांक– 18.01.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क0–13 का उत्तर सामग्री

क०	तारांकित प्रश्न संख्या–क0–13	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चे–बच्चियों के लिए राज्य मे आवासीय विद्यालय संचालित है ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान–सभा क्षेत्र में इस प्रकार का एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है, जिससे उक्त वर्गो के बच्चे बच्चियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है	कल्याण विभाग द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, चास एवं आश्रम विद्यालय, तुलबुल, गोमिया संचालित है। साथ ही कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए कुल 143 आवासीय विद्यालय (सूची संलग्न) संचालित है, जिसमें बोकारो विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र–छात्राएं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो विधान–सभा क्षेत्र के चास प्रखण्ड के ग्राम–कुडमा में आवासीय विद्यालय संचालित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 07 / वि०स०प्र०–06 / 2018–242 रांची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपि– 1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्रीमती नीता कुमारी, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–238 दिनांक– 11.01.2018 के प्रसंग मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रशाखा–5 (विधायी कार्य) कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/01/18
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

कल्याण विभाग द्वारा संचालित ST, SC एवं OBC आवासीय विद्यालयों की विवरणी:-

क्र०	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	Block	स्वीकृत छात्रबल	कक्षा	बालक / बालिका B/G	ST/SC/BC
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राँची	पिछड़ी जाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, जेल रोड, राँची	Town	380	6 से 12	G	BC
2	राँची	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सलगाडीह, तमाड़	Tamar	480	6 से 12	B	ST
3	राँची	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि०, सोनचीपी	Chanho	248	1 से 10	B	ST
4	राँची	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि० तमाड़	Tamar	248	1 से 10	G	ST
5	राँची	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि० बारीडीह	Bero	248	1 से 10	B	ST
6	राँची	बिरसा मुण्डा डी० ए० वी० आवासीय बालक उच्च वि०, बुण्डू	Bundu	400	1 से 10	B	ST
7	राँची	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बुण्डु	Bundu	248	1 से 10	B	SC
8	राँची	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, कमड़े	Ratu	248	1 से 10	B	SC
9	राँची	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि०, अमनबुरू	Bundu	88	1 से 7	B	ST
10	राँची	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि० ओरमांझी	Ormanjhi	88	1 से 7	B	ST
11	खूँटी	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि० उलिहातु	Arki	400	1 से 10	B	ST
12	खूँटी	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि० कुन्दी	Murhu	248	1 से 10	G	ST
13	खूँटी	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि० अड़की	Arki	168	1 से 10	B	ST
14	खूँटी	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि० तपकारा	Torpa	88	1 से 7	B	ST

15	खूँटी	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, डोम्बारी	Murhu	88	1 से 7	B	ST
16	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, महुआडांड	Mahuadanr	160	7 से 10	B	ST
17	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, गारू	Garu	160	7 से 10	B	ST
18	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि0, छिपादोहर	Barwadih	88	1 से 7	B	ST
19	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, डोमाखांड	Garu	88	1 से 7	B	ST
20	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, हेन्देहास	Barwadih	88	1 से 7	B	ST
21	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि0, गारू	Garu	60	1 से 6	G	ST
22	लातेहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि0, बालूमाथ	Balumath	60	1 से 6	B	ST
23	लातेहार	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, औराटांड	Manika	100	1 से 5	B	PVTG
24	लातेहार	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, बेतला	Barwadih	100	1 से 5	G	PVTG
25	लातेहार	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	Mahuadanr	100	1 से 5	G	PVTG
26	लातेहार	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, बालूमाथ	Balumath	60	1 से 6	B	SC
27	लातेहार	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, चन्दवा	Chandwa	100	1 से 6	B	SC
28	लातेहार	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, होटबाग	Latehar	60	1 से 5	B	SC
29	रामगढ़	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, माण्डु	Mandu	248	1 से 10	B	ST
30	रामगढ़	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य वि0, गोला	Gola	88	1 से 7	G	ST
31	दुमका	पिछड़ी जाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, दुमका	Dumka	380	6 से 12	G	BC
32	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, इंदरबनी	Sikaripara	340	7 से 12	B	ST
33	दुमका	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, काठीजोरिया	Dumka	480	6 से 12	G	ST

34	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, गोपीकान्दर	Gopikandar	248	1 से 10	B	ST
35	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0. लखीकुण्ड, कड़हरबील	Dumka	248	1 से 10	G	ST
36	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, नकटी,काठीकुण्ड	Kathikund	248	1 से 10	G	ST
37	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0 गुम्मापहाड़ी	Gopikandar	88	1 से 7	B	ST
38	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि0, लखनपुर, रामगढ़	Ramgarh	88	1 से 7	B	ST
39	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि0, गान्दोकौरैया, मंझियाढ़ा	Dumka	88	1 से 7	B	ST
40	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि0, शिकारीपाड़ा	Sikaripara	88	1 से 7	B	ST
41	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि0, मसलिया	Masalia	88	1 से 7	B	ST
42	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0. महरा, जरमुण्डी	Jarmundi	88	1 से 7	B	ST
43	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, आसनपहाड़ी	Kathikund	88	1 से 7	B	ST
44	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, उपरबुनीघटी	Dumka	88	1 से 7	B	ST
45	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, सैराबनी	Dumka	88	1 से 7	G	ST
46	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, आसनसोल	Dumka	88	1 से 7	B	ST
47	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि0, जामा	Jama	60	1 से 6	B	ST
48	दुमका	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, बड़ा चापुड़िया, शिकारीपाड़ा	Sikaripara	100	1 से 5	B	PVTG
49	गिरीडीह	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, पिरटांड़	Pirtand	248	1 से 10	G	ST
50	गिरीडीह	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय जमूआ	Jamua	248	1 से 10	B	SC
51	गिरीडीह	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय खरगडीहा	Jamua	248	1 से 10	B	SC
52	गढ़वा	आश्रम विद्यालय, भवनाथपुर	**Bhawnathpur**	200	6	G	ST

53	गढ़वा	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, कुदरूम, रंका	Ranka	248	1 से 10	B	ST
54	गढ़वा	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च वि0, चिनियाँ	Chinia	160	7 से 10	B	ST
55	गढ़वा	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, रमकण्डा	Ramkanda	248	1 से 10	G	SC
56	गढ़वा	अनुसूचित जाति आवासीय मध्य विद्यालय, रमकंडा	Ramkanda	100	1 से 7	B	SC
57	जामताड़ा	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, दुलाडीह, जामताड़ा	Jamtara	248	1 से 10	B	SC
58	जामताड़ा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, कुंडहित	Kundhit	88	1 से 7	G	ST
59	जामताड़ा	आश्रम विद्यालय, जामताड़ा	Jamtara	200	6 से 10	G	ST
60	जामताड़ा	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि0, कुण्डहित	Kundhit	60	1 से 6	B	ST
61	धनबाद	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर	Govindpur	248	1 से 10	B	SC
62	बोकारो	**आश्रम विद्यालय, तुलबुल, गोमिया**	**Gomia**	200	6	B	ST
63	बोकारो	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, चास	Chas	248	1 से 10	B	SC
64	सिमडेगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि0, हार्टिंगहोडे	Bano	88	1 से 7	B	ST
65	सिमडेगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, सेवई	Simdega	88	1 से 7	G	ST
66	हजारीबाग	**आश्रम विद्यालय, भेलवारा, सदर**	**Hazaribagh**	200	6	B	ST
67	हजारीबाग	पिछड़ी जाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, हजारीबाग	Hazaribagh	380	6 से 12	G	BC
68	हजारीबाग	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बरसोत	Barhi	248	1 से 10	B	SC
69	हजारीबाग	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, सलल सिंचाई कॉलोनी, दिपुगढ़ा, हजारीबाग	Hazaribagh	100	1 से 5	G	PVTG
70	देवघर	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, लेडवा, मधुपुर	Madhupur	408	1 से 12	B	SC

71	प० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि० कुन्दुगुट	Bandgaon	248	1 से 10	B	ST
72	प० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि० चाईबासा	Chaibasa	248	1 से 10	G	ST
73	प० सिंहभूम	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तांतसिदुरी, चाईबासा	Khuntpani	480	6 से 12	G	ST
74	प० सिंहभूम	**आश्रम विद्यालय, झिंकपानी**	**Jhinkpani**	200	6	B	ST
75	प० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य वि० टेबो	Bandgaon	88	1 से 7	G	ST
76	प० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि० बारकोलाद सम्प्रति मनोहरपुर	Manoharpur	88	1 से 7	B	ST
77	प० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि० छोटानागरा	Manoharpur	88	1 से 7	B	ST
78	प० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि० गोएलकेरा	Goelkera	60	1 से 6	B	ST
79	पू० सिंहभूम	**आश्रम विद्यालय, गुड़ाबांदा**	**Gurabanda**	200	6	G	ST
80	पू० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि०, उपरबांधा, घाटशिला	Ghatsila	248	1 से 10	B	ST
81	पू० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि० शबरनगर, पोटका	Potka	248	1 से 10	B	ST
82	पू० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य वि० सिंहपुरा,लालकोटा	Gurabanda	88	1 से 7	B	ST
83	पू० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि०, धुसरा, पटमदा	Patamada	60	1 से 6	B	ST
84	पू० सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक प्राथमिक वि०, चाकुलिया	Chakulia	60	1 से 6	B	ST
85	पाकुड़	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि०, हिरनपुर	Hiranpur	300	[illegible] से 10	B	ST
86	पाकुड़	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि०, डुमरचीड़	Amrapara	88	1 से 7	B	ST
87	पाकुड़	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि०, कुंजबोना	Littipara	88	1 से 7	B	ST
88	पाकुड़	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, धरहरा, धर्मपुर	Littipara	100	1 से 5	B	PVTG
89	पाकुड़	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, पाकुड़	Pakur	60	[illegible] से 6	B	SC
90	गुमला	**एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बसिया**	Basia	480	6 से 7	B	ST
91	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च वि०, जोभीपाट	Bishunpur	248	6 से 12	B	ST

92	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, घाघाटोली	Bishunpur	248	1 से 10	G	ST
93	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च वि0, घाघरा	Ghaghra	248	1 से 10	B	ST
94	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च वि0, कन्दापाट	Dumri	200	6 से 10	B	ST
95	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, सखुआपानी	Bishunpur	248	1 से 10	B	ST
96	गुमला	आश्रम विद्यालय, सिसई, गुमला	Sisai	200	6 से 10	G	ST
97	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य वि0, चौरापाट	Bishunpur	88	1 से 7	G	ST
98	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, डोकापाट	Chainpur	88	1 से 7	B	ST
99	गुमला	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, महेशपुर, चैनपुर	Chainpur	100	1 से 5	B	PVTG
100	गुमला	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, तुषगांव	Ghaghra	100	1 से 5	G	PVTG
101	गुमला	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि0, जैनगुटवा	Bishunpur	60	1 से 6	B	ST
102	लोहरदगा	**एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कुजरा, लोहरदगा**	**Lohardaga**	480	6 से 7	G	ST
103	लोहरदगा	**आश्रम विद्यालय, किस्को**	**Kisko**	200	6 से 7	B	ST
104	लोहरदगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च वि0, किस्को	Kisko	248	1 से 10	B	ST
105	लोहरदगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, तुम्बुपाट	Senha	88	1 से 7	B	ST
106	लोहरदगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, बमनडीहा	Lohardaga	88	1 से 7	B	ST
107	लोहरदगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, पेसरार	Pesrar	88	1 से 7	B	ST
108	लोहरदगा	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य वि0, लोहरदग्गा	Lohardaga	88	1 से 7	G	ST
109	सरायकेला-खरसावा	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, संजय सरायकेला	Saraikela	248	1 से 10	B	ST
110	सरायकेला-खरसावा	आश्रम विद्यालय, कुचाई	Kuchai	200	6 से 10	B	ST
111	सरायकेला-खरसावा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, संजय सरायकेला	Saraikela	60	1 से 6	B	SC

112	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, वृन्दावन,तीनपहाड़	Taljhari	248	1 से 10	B	ST
113	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, बरहेट	Berhait	248	1 से 10	G	ST
114	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, बांझी	Borio	300	1 से 10	B	ST
115	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च वि0, बन्दरकोला	Borio	248	1 से 10	G	ST
116	साहेबगंज	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, भोगनाडीह, बरहेट	Berhait	480	6 से 12	B	ST
117	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, धनबाभिया	Taljhari	88	1 से 7	B	ST
118	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, अम्बेरी	Pathna	88	1 से 7	G	ST
119	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, अरगौरी	Berhait	88	1 से 7	B	ST
120	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, चांदवारी	Borio	88	1 से 7	B	ST
121	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य वि0, अदरो, साहेबगंज	Sahebganj	88	1 से 7	G	ST
122	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, ढिबरीकोल	Pathna	88	1 से 7	B	ST
123	साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि0, करनपहाड़	Borio	60	1 से 6	B	ST
124	साहेबगंज	आदिम जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, करनपहाड़	Borio	100	1 से 5	B	PVTG
125	गोड्डा	**एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सुन्दरपहाड़ी**	**Sundarpahari**	480	6 से 7	G	ST
126	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च वि0, धमनी	Sundarpahari	300	1 से 10	B	ST
127	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, रतनपुर	Boarijore	88	1 से 7	G	ST
128	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, डंगापाड़ा	Sundarpahari	88	1 से 7	B	ST
129	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, कुर्तिका	Boarijore	88	1 से 7	B	ST
130	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, गम्हारो	Sundarpahari	88	1 से 7	B	ST
131	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि0, कार्तिकभिट्ठा	Boarijore	88	1 से 7	B	ST

132	गोड्डा	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य वि0, बोआरीजोर	Boarijore	88	1 से 7	G	ST
133	चतरा	**आश्रम विद्यालय, सिमरिया, चतरा**	**Simaria**	200	6	G	ST
134	चतरा	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च वि0, लावालौंग	Lawalong	248	1 से 10	B	ST
135	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, सिमरिया	**Simaria**	200	7 से 10	G	SC
136	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, सिमरिया	**Simaria**	100	1 से 6	G	SC
137	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, प्रतापपुर	Pratappur	100	1 से 6	G	SC
138	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, हंटरगंज	Hanterguni	100	1 से 6	G	SC
139	पलामू	**आश्रम विद्यालय, डाल्टनगंज, पलामू**	**Daltonganj**	200	6	B	ST
140	पलामू	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, छँआकोह	Hariharganj	248	1 से 10	B	SC
141	पलामू	पिछड़ी जाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, शाहपुर	Chainpur	380	6 से 12	G	BC
142	पलामू	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, लेस्लीगंज	Lesliganj	100	1 से 6	G	SC
143	पलामू	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, डुमरी, छतरपुर	Chatarpur	100	1 से 6	G	SC
		कुल:-		25348			

(11)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के महुदंड पंचायत के ग्राम लपसेरा, कुरदाग तथा हरिहरगंज प्रखण्ड में ग्राम-तुरी, भुइयाटोली, परसलेवा, मगरदाहा, पारपहाड़ आदि गाँव आज भी अंधेरे में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित गाँवों में अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत् संवेदक के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य कराये बिना ही राशि की निकासी कर ली गई है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकरण करते हुए संवेदक एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हुसैनाबाद प्रखण्ड के महुदंड पंचायत के गांव लपसेरा एवं कुरदाग क्रमशः 1X25 kVA, 2X25 KVA ट्रांसफारमर लगाकर विद्युतीकृत किया गया है। छुटे हुए कुछ टोलों को माह जून 2018 तक विद्युतीकृत कर लिया जाएगा। हरिहरगंज प्रखंड के ग्राम तुरी, मगरदाहा विद्युतीकृत है किन्तु इसके टोला भुईयाटोली, पारपहार को भी जून 2018 तक विद्युतीकृत कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 141 /　　　　दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

12

श्री राज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के गाँवा प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र तथा अधिकांश ग्रामीण खेती पर ही निर्भर है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखंड गाँवा के पंचायत पश्चिमी पिहरा अंतर्गत झोलीतरी नदी पर डैम अबतक नहीं बनाया गया है, जिसके कारण तीन हजार एकड़ जमीन पटवन से वंचित रह जाते हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के पश्चात् ही पटवन क्षेत्र का आकलन किया जा सकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में किसानों के हित में झोलीतरी नदी पर डैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रस्तावित स्थल पर डैम/चेक डैम निर्माण कराने के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के उपरांत संभाव्यता के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–32/2018 – 305 /राँची, दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 256 वि०स० दिनांक 11.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

13

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिला अंतर्गत तेनुघाट डैम के ऊपर सिद्धू–कान्हू पार्क से जीरो प्वाइंट, होसिर तक लगभग 04 कि०मी० सड़क जल संसाधन विभाग के अधीन है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि लगभग 02 वर्ष पूर्व उक्त सड़क की मरम्मति का कार्य निविदा के माध्यम से विभाग के द्वारा करोड़ो रूपए खर्च करके कराया गया था लेकिन कार्य में गुणवत्ता का अभाव होने के कारण वर्तमान में उक्त सड़क काफी जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है एवं इस मार्ग से आवागमन करना काफी जोखिम भरा है ;	वर्ष 2012–13 में उक्त सड़क का मरम्मति कार्य निविदा के माध्यम से कराया गया था एवं गुणवत्ता का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। डैम का उपरी सड़क भारी वाहनों (HMV) के आवागमन हेतु नहीं है, परन्तु भारी वाहन का भी आवागमन इस सड़क पर होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होता है तथा विगत चार वर्षों में सड़क का रख–रखाव कार्य नहीं होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त स्थिति में है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सड़क मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। उपलब्ध बजटीय उपबंध के आलोक में सड़क मरम्मति पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–05/2018 – 279 /राँची, दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 57 वि०स० दिनांक 08.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(14)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राम कुमार पाहन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित बोंगईबेड़ा पंचायत के ग्राम गोबरबेड़ा उपरटोली, संगरिया, डावटाढीपा, चटमा, बरलंगा, कैलाटोली, सरनाढीपा, पिपराढीपा, खैरागढ़ा, बांधढीपा आदि कई गाँवों में अबतक विद्युतीकरण नहीं किया गया है जिससे ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के गाँवों में जोन्हा फॉल एवं गौतम धारा के तर्ज पर विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित बोंगईबेड़ा (सेन्सेस कोड 373686) पंचायत के ग्राम गोबरबेड़ा उपरटोली, संधरिया, डावटाढीपा, चटमा, बरलंगा, कैलाटोली, सरनाढीपा, पिपराढीपा, खैरागढ़ा, बांधढीपा में केन्द्र प्रायोजित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की 12वीं योजना के तहत् कार्य कराया जा रहा है, उक्त सभी अविद्युतीकृत टोलों को मार्च 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 123 /　　　　　　　　दिनांक 15-01-18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(15)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री जानकी प्रसाद यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि 1 अक्टूबर 2016 से हजारीबाग एवं कोडरमा जिला में D.B.T. स्कीम के माध्यम से किरासन तेल पर सब्सिडी दिया जा रहा है परन्तु लाभुकों को समय पर सब्सिडी नही मिल पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार D.B.T. स्कीम के माध्यम से सभी लाभुकों को समय पर सब्सिडी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	DBT स्कीम के माध्यम से सभी लाभुकों को समय पर सब्सिडी देने की कार्रवाई की जा रही है।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 02/2018– 169 /राँची, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 181, वि0स0, दिनांक 10.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

सरकार के उप सचिव।

(16)

श्रीमती मेनका सरदार, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया प्रखंडाधीन डुमरिया, बड़ा बोतला, कालीमाटी, शरकचीड़ा, रंगामाटिया, दांसाईडीह, जादुगोड़ा, चाकड़ी आदि ग्रामों में माईक्रोलिफ्ट इरिगेशन वर्षो से बंद पड़ी हुई है ;	प्रश्नगत ग्रामों में लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं है जो बंद है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित माईक्रोलिफ्ट इरिगेशन का बन्द होने से उक्त क्षेत्र की किसानों एवं आमजनों को सिंचाई व पेयजल हेतु पानी नहीं मिल पा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित बन्द पड़ी हुई माईक्रोलिफ्ट इरिगेशंन्स को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लाभुक समिति द्वारा विद्युत संयोजन, विद्युत विपत्र का भुगतान एवं योजना के सम्पोषण एवं संचालन हेतु, शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत योजना का नव निर्माण कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–18/2018 992 / राँची, दिनांक– 19.01.18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–188 दिनांक–10.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18
श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(17)

<u>श्री आलोक कुमार चौरसिया , स० वि० स० द्वारा दिनांक–18.01.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –क–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–</u>

क्र० सं०	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के डालटेनगंज , सतबरवा/चैनपुर /रामगढ/भण्डारिया एवं बरगढ प्रखण्डों में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी कठिनाई होती है?	अस्वीकारात्मक। पलामू जिले के विभिन्न प्रखण्डों से वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11, वित्तीय वर्ष 2015–16 में 20 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 19 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्व स्वीकृत कब्रिस्तान घेराबंदी योजना को पूर्ण करने हेतु रू० 33174267.00 का देयता राशि अद्यतन आवंटित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्डों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी संबंधित दस्तावेज जिले के पदाधकारियों के द्वारा कल्याण विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है?	विभागीय पत्रांक–3577 दिनांक–01.02.2016 द्वारा खतियान में दर्ज सभी कब्रिस्तान जिनकी चहारदिवारी निर्माण नहीं हुई है, को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करते हुए तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन सहित योजना प्रस्ताव सभी उपायुक्तों से मांगा गया है। सम्प्रति उपायुक्त पलामू से 24 खतियानी कब्रिस्तानों के घेराबंदी हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी का जनहित में स्वीकृति देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु स्वीकृत प्राक्कलित राशि में दायित्व की राशि लंबित है। बजट उपबंध के आलोक में सर्वप्रथम लंबित दायित्व का आवंटन किया जा रहा है। उक्त पश्चात ही नई योजना पर विचार किया जायगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 08/वि०स०प्र०–02/2018 234 रॉची, दिनांक– 17·01·18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप संख्या –183, दिनांक– 10.01.2018 के प्रसंग में दो सौ (200) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17·1·18
(एस०के०लाल)
सरकार के उप सचिव।

G:\Vidhan Sabha Question.Docx

18

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड अंतर्गत भेलवारा पंचायत के बोचो गाँव एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ के लोगो की मुख्य पेशा कृषि है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित गाँव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के लोगो को कृषि कार्य हेतु वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित गाँव से सटा कोनार्क नदी है, जिसमें श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण होने से उक्त गाँव के लोगों को सिंचाई की समुचित साधन उपलब्ध होगी ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित गाँव में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थल सर्वेक्षणोपरांत श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण की संभाव्यता पाये जाने पर लाभ–लागत अनुपात, बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य कराने पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–10/2018 283 / राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–127 दिनांक–10.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(19)

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना द्वारा R.E से 36 ग्रामों का चयन किया गया और निविदा भी निकाली गयी और संवेदक का भी चयन किया गया परंतु आज तक संवेदक द्वारा चयनित सभी ग्रामों में विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य नहीं किया गया।	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि समय पर चयनित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से सरकार की महत्वकांक्षी योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है।	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लातेहार विधान सभा क्षेत्र के चयनित सभी ग्रामों में जल्द से जल्द विद्युतिकरण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लातेहार विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् IVRCL द्वारा छोड़े गए 35 ग्रामों का कार्य विभागीय स्तर से माह दिसम्बर 2017 में पूर्ण किया जा चुका है। लातेहार जिला अन्तर्गत (नया) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् पूर्व में आंशिक रूप से विद्युतीकृत 452 अदद् ग्रामों के बचे टोलों का पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जून 2018 है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 135 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

20

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के पंचायत सुरही के करमाटॉड नाला में निर्मित चेकडैम वर्ष 2005–06 में टूट चुका है;	स्वीकारात्मक। यह योजना जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि जल के अभाव में उपरोक्त जगह से किसान खेती भी नहीं कर पाते है ;	
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनः टूटे हुए चेकडैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–27/2018 313 / राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–252 दिनांक–11.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

21

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स० वि० स० द्वारा दिनांक – 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला विधान सभा क्षेत्र में मेसो अस्पताल, कुंजबोना में संचालित है, जिसमें समुचित चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है।	अस्वीकारात्मक। कल्याण विभागीय ग्रामीण मेसो अस्पताल, कुंजबोना गैर सरकारी संस्था– डायनामिक तरंग (प्रा०) लि०, राँची– 834001 द्वारा संचालित है। उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक– 86/ITDA, दिनांक– 16.01.2018 के अनुसार उक्त अस्पताल में सम्प्रति चिकित्सक के रूप में एक मेडिकल ऑफिसर, दो रेजिडेन्ट मेडिकल ऑफिसर के अलावे 8(आठ) On Call मेडिकल ऑफिसर के साथ–साथ अन्य तकनीकि एवं गैर तकनीकि कर्मी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेसो अस्पताल कुंजबोना में उच्चस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्पताल के नये संचालनकर्ता का चयन ई–टेन्डर के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–4/वि०स०–18/2018– 231 राँची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 236, दिनांक– 11.01.2018 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18
(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज–03 का उत्तर प्रतिवेदन

(20)

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है, कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 1970 में 30 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसे वर्ष 1998 में पुनरीक्षित करते हुए 814.73 करोड़ रूपये कर दी गई।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि जनवरी 2017 तक खंड–1 में वर्णित योजना पर 768.35 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद भी डैम स्थल पर गेट नहीं लगाए जाने के कारण पलामू जिले में 12470 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में योजना से पलामू जिले में आंशिक रूप से लगभग 12300 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि उत्तर कोयल जलाशय के डैम स्थल पर गेट लगाकर पलामू जिले में कब तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है।	भारत सरकार की पहल पर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यो को 30 महीनों में पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां–03/18– 298 / राँची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपिः– (1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के ज्ञापांक–118 दिनांक–09.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18
श्रीनिवास प्रसाद सिंह
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Hindi 7\Vidhan sabha\Vidhan sabha Jan 17_2018 to Feb 07_2018\Shri Radhakrishna Kishore J-03.docx

(23)

श्री चंपई सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–21 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री चंपई सोरेन, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावां जिला के सरायकेला प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम हुदु टोला मनोहरपुर में दिनांक 07.08.2017 सोमवार को 11000 बिजली तार की चपेट में आने से हिन्दु हाँसदा पिता-बुधु हाँसदा, उम्र 30 वर्ष की मृत्यु हुई है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य को आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त मामले के निष्पादन के क्रम में इस बात का पता चला कि मृतक का नाम स्व० हिन्दु मांझी, पिता श्री बुधु मांझी था। मृतक तथा उनके पिता के आधार कार्ड में उनके उपनाम में हांसदा की जगह मांझी ही अंकित है। मृतक के पिता श्री बुधु मांझी (कानूनी वारिस) को निगम के प्रावधान के तहत् रू० 2,00,000/- (दो लाख) मात्र मुआवजा का भुगतान चेक संख्या 005968 दिनांक 15.01.2018 के द्वारा कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 162 / दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–21 का उत्तर प्रतिवेदन। 24

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला अंतर्गत प्रखंड क्रमशः साहेबगंज, राजमहल तथा उधवा गंगा तट, मध्य व दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ हजारो एकड़ जमीन पर फसल होती है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जिला के प्रखंड उधवा अंतर्गत उधवा चौक – फुदकीपुर–कटहलबाड़ी–राधानगर बकाई नाला, उधवा मुख्यालय से राधानगर तक उधवा नाला पतौड़ा झील से सुतियारपाड़ा मौजा तक सिंचाई नाला, आतापुर पंचायत स्थित कोदलकट्टी नाला तथा राजमहल प्रखंड अंतर्गत तैनुआ नाला, कंचनपुर दज्जो नाला व शेर नाला का गहरीकरण व जीर्णोद्धार न होने के कारण क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन फसल विहिन हो चुके है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्राकृतिक नालों का गहरीकरण तथा जीर्णोद्धार का कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित नहर–नालों का निर्माण व जीर्णोद्धार के माँग स्थानीय द्वारा वर्षो से की जाती रही है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित क्षेत्रों में नहर–नालो का गहरीकरण व जीर्णोद्धार कर स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. नाला के गहरीकरण तथा जीर्णोद्धार के संबंध में कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। 2. जहाँ तक नहर के गहरीकरण तथा जीर्णोद्धार का प्रश्न है, इस संबंध में योजना का नाम स्पष्ट होने पर आगामी वित्तीय वर्षो में बजटीय उपबंध के आलोक में निधि की उपलब्धता के आधार पर जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–21/2018 301 / राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–259, दिनांक–11.01.2018, के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18
श्रीनिवास प्रसाद सिंह
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(25)

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शशि भूषण सामाड़, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर 25 kV के बिजली ट्रांसफर्मर की किल्लत व्यापक पैमाने पर है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इएसआई किल्लत की वजह से पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में कई महीनों से 25 kV के बिजली ट्रांसफर्मर की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अंधकार में डूबा है ।	पिछले एक वर्ष में पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 80 अदद् 10/16 के0भी0ए0 के जले ट्रांसफार्मर को 25 के0भी0ए0 से बदल दिया गया है परन्तु अभी भी कुछ क्षेत्र में 10/16 के0भी0ए0 के ट्रांसफार्मर जले हुए है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 25 kV का बिजली ट्रांसफर्मर उपलब्ध करवाकर ग्रामीणों को बिजली मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	खराब पड़े सभी 10/16 के0भी0ए0 के ट्रांसफार्मर को 25 के0भी0ए0 के नये ट्रांसफार्मर से बदलने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। जिसका कार्य मेसर्स आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 को आवंटित हो चुका है, जिसे जून-2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 139 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(26)

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या क–10 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि संविधान की धारा–275(1) के अनुसार जनजातीय कल्याण अन्तर्गत भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्यों में जनजातीय शोध संस्थानों (TRI) में स्थायी निदेशक होने चाहिए	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान (TRI) में निदेशक के पद प्रभारी भरोसे चल रहा है जिसके कारण शोध पदाधिकारियों को समय पर मार्गदर्शन या निदेश देने वाला कोई नहीं है और ना ही सर्वे के लिए जिलों में आने–जाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्तमान में अनुबंध के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति कर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष –1953 में TRI की स्थापना के 64 वर्ष बाद भी नियुक्ति नियमावली नहीं बनी है जिसके कारण स्थायी नियुक्ति नहीं की जा रही है	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार के नियुक्ति नियमावली बनाते हुए केन्द्र सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में स्थायी निदेशक नियुक्त करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यो?	नियमावली बनाने के संबंध में विभाग द्वारा उपसमिति गठित है।(आदेश की प्रति संलग्न) उपसमिति द्वारा अनुशंसा/मंतव्य प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–2/वि०स०(तारांकित)–03/18 232   राँची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० – 184, दिनांक – 10.01.18 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/01/18
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

(१३)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–19 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज कुमार यादव, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के प्रखण्ड गाँवा एवं प्रखण्ड तिसरी में विद्युतिकरण कार्य नहीं कराया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों के वंचित गाँव के ग्रामीण अब भी अन्धेरे में रहने को विवश है।	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला के प्रखण्ड गावां एवं प्रखण्ड तिसरी के सभी गाँव विद्युतीकृत है केवल गावों के छुटे हुए अविद्युतीकृत टोले ही ग्रामीण विद्युत से वंचित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्डों के वंचित गाँवों में विद्युतिकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गिरिडीह जिला के प्रखण्ड गावां एवं प्रखण्ड तिसरी के गाँवों के टोला का पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। उक्त प्रखण्डों के गाँवों के टोलों का पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य माह जून 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 138 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

27

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में जैनामोड़ विद्युत सब-स्टेशन से फुसरो सब-स्टेशन तक 33 kV का हाई टेंशन लाईन दामोदर नदी पार करके गया है।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि फुसरो विद्युत सब-स्टेशन से पिछरी एवं भण्डारीदह तथा कथारा सब-स्टेशन से चलकरी तक दामोदर नदी पार कर 11 kV का हाई टेंशन लाईन गया हुआ है ।	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि गत वर्ष 2017 में बरसात में दामोदर नदी में बाढ़ के आगोश में चारों लाईन का तार एवं खंभे ढह-बह जाने के कारण उक्त इलाकों में ग्यारह दिनों तक अंधकार छाया रहा।	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दामोदर नदी के कारण बराबर आ रही समस्या का स्थायी निदान के लिए वर्णित स्थानों पर 33 kV का मिनी (हाई टेंशन रीवर क्रॉसिंग) टावर लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	दामोदर नदी के उक्त स्थल पर 33 के०भी० लाईन को केबुल के माध्यम से नदी पार कराना है। उक्त कार्य हेतु केबुल निर्गत कराया जा चुका है एवं यह कार्य माह मार्च 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 121 / दिनांक 15-01-18

प्रतिलिपि:-- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(29)

श्रीमती जोबा माँझी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीनति जोबा माझी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड सहित सोनुवा, गुदड़ी, गोईलकेरा, आनन्दपुर, बंदगाँव प्रखंड क्षेत्रों में कई ट्रांसफॉर्मर अबतक खराब पड़े रहने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए कई स्थानों पर अबतक जर्जर लकड़ी के पोलों का ही अधिष्ठापन हुआ है।	अस्वीकारात्मक। प्रायः सभी स्थानों पर सीमेंट पोल का उपयोग कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्त्तमान में कही भी लकड़ी पोल का उपयोग नही किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त लकड़ी के पोलों का हालात जर्जर होने के कारण कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बना हुआ है।	विद्युत आपूर्ति हेतु लकड़ी के पोल का उपयोग वर्षों पूर्व समाप्त हो चुका है। उसके स्थान पर सीमेंट पोल का उपयोग किया जा रहा है, फिर भी यदि कहीं लकड़ी का पोल पाया जाता है तो उसे तुरन्त सीमेंट पोल से बदलने की कारवाई की जाती है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खराब पड़े ट्रांसफॉमरों और लकड़ी के पोलों को तत्काल बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पिछले एक वर्ष में पश्चिम सिंहभूम जिले के प्रखण्ड मनोहरपुर, सोनुआ, गोईलकेरा, आनन्दपुर एवं बन्दगाँव अन्तर्गत विभिन्न गाँवों में 10, 16 के०वी०ए० के 139 अदद् जले हुए ट्रांसफार्मर को 25 के०वी०ए० से बदल दिया गया है। परंतु अभी भी कुछ क्षेत्रों में 10, 16 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर जले हुए है जिसे 25 के०वी०ए० के नए ट्रांसफार्मर से बदलने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत स्वीकृत है। यह कार्य M/s IL &FS को आंवटित हो चुका है जिसे जून 2018 तक बदलने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 136 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\2018\Budget Satra 2018\18-01-2018 Date 14

30

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–25 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रखण्ड खरौंधी अन्तर्गत डोमनी बराज का निर्माण वर्ष–2014 में प्रारम्भ किया गया था,	गढ़वा जिला के खरौंधी प्रखण्ड अन्तर्गत डोमनी बराज योजना का सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य वर्ष 2014 में Turnkey आधार पर M.S. Czar Const. Pvt. Ltd. के माध्यम से प्रारम्भ किया गया था। योजना के लिए आवश्यक भू–अर्जन हेतु भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निलाम्बर–पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये SIA (Social Impact Assessment) प्रतिवेदन का मूल्यांकण उपायुक्त, गढ़वा द्वारा कराया जा रहा है। भू–अर्जन का कार्य पूरा हो जाने के बाद योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि डोमनी बराज का कार्य अभी तक पूरा नहीं होने के चलते सैकड़ो किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित है, जिससे कृषि कार्य में काफी दिक्कत हो रही है,	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डोमनी बराज का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–25/18– 296 / राँची, दिनांक– 19-01-18

प्रतिलिपिः– (1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के ज्ञापांक–226 दिनांक–15.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18
(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची।

(31)

श्री भानुप्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग की कवलदाग वीयर स्कीम वर्षों पुरानी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बीयर में बालू भर जाने तथा नहर का जीर्ण–शीर्ण हो जाने से दर्जनों गाँव सिंचाई से वंचित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बीयर स्कीम के नहर पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। क्षेत्रीय संतुलन एवं बजट उपलब्धता के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–24/2018 – 281 /राँची, दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 254 वि०स० दिनांक 11.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18
(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(32)

श्री इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा में TRW (Transformer Repairing Work) और Central Store नहीं रहने के कारण जिले के सभी उपभोक्ताओं को दुमका या देवघर जाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 100 कि०मी० है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में ट्रांसफार्मर की निकासी केन्द्रीय भंडार, दुमका एवं टी०आर०डब्लू०, जामा (दुमका) से होता है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा में TRW (Transformer Repairing Work) और Central Store खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जामताड़ा में भण्डार एवं ट्रांसफार्मर रीपेयरिंग वर्कशॉप अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है एवं वार्षिक विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में प्रावधानित है। दिसम्बर–2018 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 119 / दिनांक 15-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(34)

श्री अरुप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–म०स०–05 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत केलियासोल एवं एगारकुण्ड नामक दो नये प्रखण्डों का सृजन हुआ है परन्तु इन प्रखण्डों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों का सृजन नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों को सृजित करते हुए पदाधिकारियों का पदस्थापन करने का विचार चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	समेकित बाल विकास सेवा परियोजना की स्वीकृति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवाएँ योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है। धनबाद जिला के कालियासोल एवं एगारकुण्ड प्रखण्डों सहित राज्य के नव सृजित 44 प्रखण्डों में समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय की स्वीकृति एवं उक्त कार्यालयों हेतु राजपत्रित एंव अराजपत्रित पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को विभागीय पत्र सं०–1480, दिनांक–14.06.2016 के द्वारा भेजा गया है एवं विभागीय स्मार पत्र पत्रांक–3072, दिनांक–17.07.2017 द्वारा भारत सरकार को उपर्युक्त प्रस्ताव की स्वीकृति स्मारित किया गया है। भारत सरकार से समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं उक्त कार्यालयों के लिए पदों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उपर्युक्त प्रखण्डों में समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद के सृजन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/वि०स०/तारां० प्र०–15/2018–176 राँची, दिनांक : 17-01- 2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके कार्यालय ज्ञापांक–134/वि०स०, दिनांक–10.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव।

35

श्री राज किशोर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि टुण्डी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निम्नांकित सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार सालों से लंबित है ; ग्राम / पंचायत / प्रखण्ड (क) रानी बांध– गेदनवाडीह गेदनवाडीह तोपचांची (ख) सोनाबांध– गणेशपुर चितरपुर तोपचांची (ग) कमलीया बांध– पावापुर पावापुर तोपचांची (घ) मोढ़ाडीह तालाब– मोढ़ाडीह मोढ़ाडीह तोपचांची (ङ) सिंहदाहा बड़ा तालाब– सिंहदाहा सिंहदाहा तोपचांची (च) चेपकीया डैम– सहनाद उकमा पूर्वी टुण्डी	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तालाबों / चेकडैम का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण ग्रामीणों को सिंचाई पशुपालन एवं दैनिदिनी कार्य में काफी कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तालाबों / चेकडैम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। बजटीय उपबंध, क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना का जीर्णोद्धार आगामी वर्षों में कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–30/2018 291 / राँची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–249 दिनांक–11.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18
श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने 36
वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए वृहद पैमाने पर विशेष अभियान के तहत राज्य में लगभग 500 चेकडैम का निर्माण कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि करोड़ो रूपैया व्यय करके निर्मित किए जाने वाले ऐसे चेकडैम योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करने से पहले उक्त चेकडैम से सिंचित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल का विवरण भी स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में अंकित रहना चाहिए ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि (विगत तीन वर्षों में) अबतक निर्मित ऐसे चेकडैमों से किसानों के सिंचित भूमि क्षेत्रफल (रकबा) का कोई रिकार्ड विभाग के पास मौजूद नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चेकडैम निर्माण से पूर्व (सिंचित होने वाले भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल (रकबा), यदि योजना प्रस्ताव के साथ सम्मलित हो तो) और निर्माण के बाद चेकडैम से किसानों की भूमि पटवन का तुलनात्मक सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं माननीय सदस्य विधान सभा के अनुशंसा पर चेकडैम योजनाओं का चयन किया गया है।योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार करते समय उससे होने वाली सिंचाई क्षमता का आकलन किया जाता है। योजना निर्माण के पूर्व योजना से लाभान्वित होने वाले कृषको की समिति (लाभुक समिति) गठित की जाती है। चेकडैम बनने के बाद योजनाएं के रख–रखाव एवं भूमि पटवन हेतु लाभुक समिति को हस्तांतरित की जाती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–04/2018 294 / राँची, दिनांक–17–01–18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–60 दिनांक–08.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

37

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स० वि० स० के द्वारा दिनांक– 18.01.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–04 का उत्तर सामग्री

क०	तारांकित प्रश्न संख्या–क०–04	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखंड के अलगडीहा पंचायत ग्राम बालक में आदिम जनजातीय आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित निर्माणाधीन भवन में अत्यंत घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो किसी भी वक्त गिर सकता है।	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक–61 दिनांक–13.01.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया एवं कार्यपालक अभियंता एन० आर० ई० पी० गिरिडीह का गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थल की जाँच की गई है। जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल का आरोप बेबुनियाद है
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित निर्माणाधीन भवन का जाँचोपरांत दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 07 / CCD-वि०स०प्र०–02 / 2018– 241 राँची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपि– 1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्रीमती नीता कुमारी, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–131 दिनांक– 10.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–5 (विधायी कार्य) कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/01/18

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

39

श्री लक्ष्मण टुडू, माननीय स० वि० स० के द्वारा दिनांक– 18.01.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क0–14 का उत्तर सामग्री

क०	तारांकित प्रश्न संख्या–क0–14	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला प्रखण्ड के ग्राम–उपर पावड़ा में जन–जातीय आवासीय विद्यालय में 50 (पचास) बेड वाला छात्रावास का निर्माण वित्तीय वर्ष 2005–2006 में प्रारंभ किया था जो आज 12 वर्षो के पश्चात् भी अधूरा पड़ा है, जिससे छात्राओं को पठन–पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?	परियोजना निदेशक, आई० टी० डी० ए०, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–116/ITDA दिनांक–17.01.18 के अनुसार योजना कार्य त्रुटिपूर्ण होने के कारण विद्यालय प्रशासन द्वारा योजना का हैण्डओवर नहीं लिया गया है। त्रुटि निराकरण हेतु कार्यालय ज्ञापांक–546/मेसो दिनांक– 26.10.2009 द्वारा अभिकर्ता को निदेश दिया गया है। अभिकर्ता द्वारा त्रुटि का निराकरण अबतक नहीं किया गया है। उनके विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। संप्रति विद्यालय के छात्र उसी कैम्पस के अन्य तीन छात्रावासो में आवासीत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त छात्रावास का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 07/वि०स०प्र०–05/2018– 238 रॉंची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपि– 1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्रीमती नीता कुमारी, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–235 दिनांक– 11.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रशाखा–5 (विधायी कार्य) कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 17/01/18
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

(40)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–क०–5 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों की शादी के मामले बढ़े हैं ;	नाबालिग लड़कियो की शादी से संबंधित विगत पांच वर्षों की वर्षवार आँकड़े की विवरणी महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संधारित नहीं है। विभागीय पत्र सं०–143 दिनांक–15.01.2018 द्वारा झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, झारखण्ड, राँची, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं राज्य महिला आयोग, झारखण्ड, राँची से उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले की रोकथाम के लिए ऑपरेशन मुस्कान को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है ;	आपरेशन मुस्कान मुख्यतः बाल तस्करी एवं गुमशुदा बच्चों की बरामदगी तथा उनके पुनर्वास से संबंधित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाल विवाह कानून बनाकर इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली – 2015 विभागीय अधिसूचना सं०– 786 दिनांक–23.04.2015 के द्वारा अधिसूचित है तथा इसके कार्यान्वयन तथा प्रोत्साहन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार बाल विवाह निषेध कानून का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा आम जनता में जागरुकता के लिए कटिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक – 03/म०स०/वि०स०/तारांकित प्रश्न–18/2018–172 राँची, दिनांक : 17-01- 2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–185/वि०स० दिनांक–10.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018.

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र के कुरडेग प्रखंड में रानीघाघ सोगसोगा डैम एवं खिण्डा डैम, मध्यम सिंचाई योजना के तहत निर्मित है एवं अभी इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है जिससे सिंचाई का कार्य किया जा सके ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सिंचाई का कार्य नहीं होने से कृषक खेती नहीं कर पाते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त डैम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रानीघाघ मध्यम सिंचाई योजना एवं सोगसोगा मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय सतुंलन को देखते हुए आगामी वर्षो में कार्य कराया जा सकेगा। खिण्डा मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों से बात–चीत कर उनकी सहमति के उपरांत योजना के जीर्णोद्धार हेतु कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–20/2018 295 / राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–261 दिनांक–11.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

42

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रखण्ड बहरागोड़ा एवं प्रखंड चाकुलिया के स्वर्णरेखा नदी, पोलपोला नाला, जाथा नाला, देव नदी तथा अन्य जिसमें सालों भर पानी रहता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन नदी नालाओं के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करने से हजारों एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खण्डों में वर्णित नदी–नालाओं के पानी को विद्युत संचालित माईक्रोलिफ्ट के द्वारा हजारों एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है ;	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा विद्युत चालित लिफ्ट एरीगेशन योजनाओं का निर्माण लाभुक समिति द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान एवं योजना के सम्पोषण एवं संचालन हेतु, शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत कराया जा सकेगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त खण्ड–1 में वर्णित नदी–नालाओं पर विद्युत संचालित माईक्रोलिफ्ट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–09/2018 290 / राँची, दिनांक–17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–128 दिनांक–10.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18
श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०-मस-02 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के दर्जनों वृद्धा व विधवा को एक साल से पेंशन नहीं मिल रही है ;	अस्वीकारात्मक । पेंशनधारियों का भुगतान Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से करने की कार्रवाई की जा रही है । संबंधित अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन पेंशन शिविर के आयोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें पेंशनधारियों के शिकायतों का निराकरण किया जाता है ।
2.	क्या यह बात सही है कि पेंशनार्थी द्वारा बार-बार कागजात जमा करने के बावजूद भी उन्हें पेंशन से वंचित किया जा रहा है जबकि लाभुकों का आधार लिंक करा ली गई है ;	अस्वीकारात्मक । वृद्धा व विधवा पेंशन का भुगतान पेंशन पोर्टल में अंकित स्वीकृत पेंशनधारियों को ही किया जाता है । पेंशन पोर्टल में अंकित पेंशनधारियों का भुगतान आधार आधारित बैंक खाता में पूर्ण रूप से किया जाता है ।
3.	क्या यह बात सही है कि खंड- 1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में कई बुजूर्ग एवं विधवा पांच-छह किलोमीटर पैदल चल कर प्रखण्ड कार्यालय आते है और उन्हें हमेशा साहब नहीं है का जवाब दे कर वापस भेज दिया जाता है ;	अस्वीकारात्मक ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में वृद्धा एवं विधवा को पेंशन सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अपेक्षित नहीं है ।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक- 03/म०स०/वि०स०/ तारांकित प्रश्न- 08/2018-176 रांची,दिनांक- 17-01-18

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०-72/वि०स, दिनांक-08.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/01/2018

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

(44)

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शिवशंकर उराँव, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग 68-हजार गाँवों में से मात्र 38 हजार गाँवों में विद्युतीकरण का काम हुआ है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा शेष 30 हजार गाँवो मे वित्तीय वर्ष 2018–19 ई० तक विद्युतीकरण का काम पूरा करके 24 गुणा 7-दिन विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य तय किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम अत्यंत सुक्ष्म गति से चल रहा है और राज्य कई जिलों में कार्य करने हेतु संवेदक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।	अस्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि राज्य मे विभाग के वर्तमान कार्य स्थिति को देखते हुए निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा करना मुश्किल है।	अस्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत गाँवों मे विद्युतीकरण करके 24 गुणा 7- दिन अबाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कुल 23881 आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों के विरूद्ध 5568 ग्रामों के बचे टोलों का विद्युतीकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वी) द्वारा पूर्ण किया गया है। शेष बचे हुए 18313 आंशिक विद्युतीकृत गांव में विद्युतीकरण का कार्य जारी है जिसमें से 6335 गांवों के बचे हुए टोलो का विद्युतीकरण का कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बाकी बचे 11978 ग्रामों के बचे हुए टोलों का विद्युतीकरण कार्य जून 2018 तक पूर्ण हो जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 142 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

45

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत लादी (झरिवा) रानी ताल में डैम का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों को खेती करने में काफी कठिनाई होती है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त नाला का पानी के रूकाव नहीं होने के कारण गर्मी के दिनों में खेत बंजर हो जाते हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त नाला पर डैम का निर्माण कर किसानों एवं मवेशियों को जल श्रोत से राहत दिलाने चाहती है, हाँ तो कब नहीं तो क्यों ?	रानीताल जलाशय योजना भरगाँवा पंचायत के रानीताल गाँव में अवस्थित है। इस योजना से दो मुख्य नहर निःसृत है। सम्प्रति दाँया मुख्य नहर से सिंचाई होती है। लादी गाँव जो झरिवा पंचायत में अवस्थित है, बाँया मुख्य नहर के अंतिम छोर पर अवस्थित है। सम्प्रति पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। रानीताल जलाशय योजना के सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ERM के तहत् इस योजना के जीर्णोद्धार का डी०पी०आर० तैयार कराया गया है, जो जाँच के क्रम में है। बजटीय उपलब्धता तथा क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान कर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–14/2018 – 282 /राँची, दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 192 वि०स० दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18
(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
4. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखंडाधीन भरकट्ठा पावर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्षो से अर्ध-निर्मित अवस्था में पड़ी हुई है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
5. क्या यह बात सही है कि खंड-1 में उधृत सब-स्टेशन का निर्माण नही होने के कारण बिरनी प्रखंड मे तथा अन्य जगहों मे नियमित विद्युतापूर्ति बाधित हो रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में बिरनी प्रखण्ड में 33/11 के०भी० बिरनी सब-स्टेशन में लगे हुए (1X5 MVA + 1X3.15 MVA) पावर ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
6. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में जनहितार्थ विद्युतापूर्ति निर्बाधरूप से करने हेतु अर्ध-निर्मित सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखंडाधीन भरकट्ठा पावर सब-स्टेशन ADP योजना मद में सम्मिलित है। उक्त सब-स्टेशन का चहरदीवारी, कन्ट्रोल रूम (Control Room) पूर्ण है एवं 33 के०भी० लाईन का कार्य प्रगति पर है। उक्त सब-स्टेशन को दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 122 / दिनांक 15-01-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

47

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोलाई डैम, लेंजवा डैम एवं हेरूआ डैम (डहूरी) का लम्बे समय से जीर्णोद्धार नहीं हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चतरा विधानसभा के अन्तर्गत हिरू जलाशय योजना (डहूरी) एवं गोलाई–सह–सुधरी वीयर के जीर्णोद्धार के संबंध में वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :– (1) हिरू जलाशय योजना :– योजना के जीर्णोद्धार हेतु रू० 425.449 लाख के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति में है। (2) गोलाई–सह–सुधरी वीयर योजना :– योजना के जीर्णोद्धार हेतु रू० 138.325 लाख के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति में है।
2.	क्या यह बात सही है कि डैमों का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण जल संचय कम होता है, जिस कारण गर्मी में सिंचाई की समस्याओं से किसानों को जुझना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2017 में हिरू जलाश योजना से 400 है० एवं गोलाई–सह–सुधरी वीयर योजना से 795 है० खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराया गया।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त डैमों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हिरू जलाशय योजना (डहूरी) एवं गोलाई–सह–सुधरी वीयर योजना का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2018 में पूर्ण होने की संभावना है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–13/2018 – 280 /राँची, दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 126 वि०स० दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

(48)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित गुंगा नाला में चेकडैम का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे अनगड़ा, सिरका, सोसो, साल्हन, चिलदाग, तुरूप, हेसल, सिमलिया इत्यादि दर्जनों गाँवों के किसानों को कृषि कार्य हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची जिले के अनगड़ा प्रखंड के अन्य नाला पर चेकडैम का निर्माण किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुंगा नाला में डैम बनाकर पाईप के माध्यम से उक्त गाँवों में कृषि कार्य हेतु सिंचाई की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्वेक्षणोंपरात पाया गया है कि गूंगा नाला के तल से कृषि योग्य भूमि की उँचाई 100 मी० से ज्यादा है। अतः गूंगा नाला पर चेकडैम का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–08/2018 297 / राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–62 दिनांक–08.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/18

श्रीनिवास प्रसाद सिंह,
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(49)

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में बिजली की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है।	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि चतरा में चोरकारी सबग्रीड बन कर तैयार है जिसके चालू हो जाने से जिले में बिजली की समस्या काफी कम हो जायेगी।	चतरा जिलान्तर्गत ईटखोरी अंचल के चोरकारी ग्राम में 220/132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन बन कर लगभग तैयार है, जिसके चालू हो जाने से बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चोरकारी सबग्रीड को जल्द चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चोरकारी ग्राम में 220/132/33 के0भी0 चोरकारी पावर ग्रिड सब-स्टेशन को ऊर्जान्वित करने हेतु संबंधित 220 के0भी0 लातेहार-चतरा संचरण लाईन का पूर्ण होना आवश्यक है। जिसका कार्य, Forest Clearance के अभाव के कारण बाधित है. Forest Clearance का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। Forest Clearance प्राप्त होने के बाद इस संचरण लाईन को अप्रैल 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तद्-पश्चात ही चोरकारी पावर ग्रिड सब-स्टेशन को ऊर्जान्वित कर इस ग्रिड सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति शुरू किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 166 / दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि:-- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(50)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–20 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग झारखण्ड राज्य के प्रमुख शहरों में से एक है जिसकी आबादी लगभग 02 लाख 50 हजार के करीब है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित शहर में बिजली आपूर्ति से संबंधित ओभर हेड तार व पोल काफी पुरानी हो चुकी है साथ ही पोल के सड़कों पर होने के कारण सड़कों की चौड़ाई कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित शहर में ओभरहेड तार होने के कारण बिजली की चोरी भी अधिक होती है, जिसके कारण भी बिजली की आपूर्ति काफी बाधित रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-1 में वर्णित शहर में अंडर ग्राउंड केबलिंग कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग शहर में बिजली की चोरी की रोकथाम हेतु एल०टी० लाईन में लगे ओभरहेड तार को आर०-ए०पी०डी०आर०पी० (पार्ट-बी) एवं IPDS योजना के तहत् करीब 120 कि०मी० लाईन को एल०टी० ए०बी० केबुल से बदलने का कार्य जारी है। जिसमें लगभग 30 कि०मी० का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य जून 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है एवं शहर के रामनवमी मार्ग में पड़नेवाले लगभग 07 कि०मी० एच०टी० लाईन को आर०-ए०पी०डी०आर०पी० (पार्ट-बी) योजना के तहत अंडर ग्राउंड केबुल से बदला जाना है। जिसे भी जून- 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। शेष एच०टी० लाईन को अन्डरग्राउंड में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में Asian Development Bank (ADB) द्वारा प्रायोजित योजना में स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी। स्वीकृति उपरांत अगले तीन वर्ष में कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 163 / दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

51

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री रवीन्द्र नाथ महतो,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि कुण्डहीत प्रखण्ड अन्तर्गत मुड़ाबेड़िया अत्यंत गरीब, पिछड़ा और घनी आबादी वाला ग्राम है और अधिकतर गरीब व्यक्ति खाद्य आपूर्ति योजना से वंचित है;	अस्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का सर्वेक्षण कराकर उपर्युक्त व्यक्तियों को खाद्य आपूर्ति योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जामताड़ा जिला अन्तर्गत कुण्डहीत प्रखण्ड के मुड़ाबेड़िया ग्राम की वर्तमान आबादी अनुमानतः 2445 है। इस गाँव में अब तक कुल 1900 व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। वर्तमान में e-RCMS के माध्यम से छुटे हुए योग्य लाभुक Online आवेदन कर सकते है, ताकि अविलम्ब उन्हें कार्ड निर्गत कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सके।

ह०/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 06/2018– 188 /राँची, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 266, वि०स०, दिनांक 11.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

सरकार के उप सचिव

52

श्रीमती गंगोत्री कुजुर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–14 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती गंगोत्री कुजुर,
मा०स०वि०स०</th><th>उत्तरदाता
विभागीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का विद्युतीकरण करने का प्रावधान है।</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि पर्याप्त राशि होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्युतीकरण कार्य अबतक पूरा नहीं किया जा सका है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अविद्युतीकृत कुल 37332 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है । सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण करने हेतु विद्युत सामग्रियों का क्रय कर ली गई है। इसमें से 10154 अविद्युतीकृत विद्यालयों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। अब मात्र 27179 अदद् अविद्युतीकृत विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, की विवरणी निम्नवत् है:-
<table>
<tr><th>अविद्युतीकृत विद्यालयों की संख्या जहाँ केवल विद्युत संबंध स्थापित करना है।</th><th>विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य (महीना)</th><th>अविद्युतीकृत विद्यालयों की संख्या जहाँ HT/LT लाईन खींचने तथा ट्रान्सफार्मर की अधिष्ठापन की आवश्यकता है ।</th><th>विद्युतीकरण पूर्ण करने का लक्ष्य (महीना)</th></tr>
<tr><td>9505</td><td>मार्च 2018</td><td>17673</td><td>अक्टूबर 2018</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य अबतक पूरा नहीं किये जाने संबंधी मामले की जाँच कराने और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 167 / दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

53

श्री योगेन्द प्रसाद, स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 18.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– कृ–01 का उत्तर सामग्री।

<table>
<tr><td>क्र0</td><td>प्रश्न</td><td>उत्तर सामग्री</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ वर्ग के नौकरी में मैट्रिक/ इण्टर/आई०टी०आई० पास आदिम जनजाति के छात्रों को सीधे नियोजित करने का प्रावधान है ;</td><td>अस्वीकारात्मक।
वर्तमान में आदिम जनजाति के सदस्यों को चतुर्थ वर्ग के नौकरी में सीधे नियोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०–5555, दिनांक– 28.06.2016 द्वारा झारखण्ड राज्य में निवासरत आदिम जनजाति समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा के तहत क्षैतिज रूप से अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम 2% आरक्षण प्रदान की गई है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखण्ड के निम्नांकित बिरहोर छात्रों में उक्त योग्यता होने के बाद भी चतुर्थ वर्ग के नौकरी में नियोजित नहीं किया गया है ;
<table>
<tr><td>क्र0</td><td>छात्र का नाम</td><td>ग्राम</td><td>योग्यता</td></tr>
<tr><td>-</td><td>चान्दो लाल बिरहोर</td><td>बिरहोरटण्डा</td><td>मैट्रिक (2010) ITI (2016)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सुरेश बिरहोर</td><td>डुमरी</td><td>मैट्रिक (2011) ITI (2016)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मन्टु बिरहोर</td><td>डुमरी</td><td>मैट्रिक (2011) ITI (2016)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सुन्दरलाल बिरहोर</td><td>बिरहोरटण्डा</td><td>मैट्रिक (2011) इंटर (2013) ITI (2016)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>लडदेव बिरहोर</td><td>बिरहोरटण्डा</td><td>मैट्रिक (2011) इंटर (2013) ITI (2016)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सावन बिरहोर</td><td>खरखण्डा</td><td>मैट्रिक (2010) इंटर (2012)</td></tr>
</table></td><td>उपरोक्त कंडिका 01 में वर्णित।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त छात्रों को राज्य सरकार के चतुर्थ वर्गीय नौकरी में सीधे नियोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका 01 मे स्थिति स्पष्ट।</td></tr>
</table>

ceK 17.1.18

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०प्र०–01/2018(क) 236 रॉंची, दिनांक:– 17.01.18

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या– 73 दिनांक–08.01.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ceK 17.1.18

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(54)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री जानकी प्रसाद यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य आपूर्ति अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में चावल की आपूर्ति की जाती है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटिज एवं अन्य बीमारी से ग्रसित लोग है, जिन्हें डॉक्टर द्वारा रोटी खाने की सलाह दी जाती है;	
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चावल के साथ गेहूँ भी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आवंटन के आलोक में खाद्यान्न के रूप में चावल एवं गेहूँ का उपावंटन किया जाता है।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 07/2018– 170 /राँची, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 264, वि0स0, दिनांक 11.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव